प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 11.03.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व दिया गया 1,00,00/- 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना भरथना, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय इटावा द्वारा हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा व दिया गया 1,00,00/- 10,000/- रूपये का अर्थदण्ड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.03.2023 को वादिनी माधुरी उर्फ आरती पत्नी राजेश यादव उर्फ राजू पुत्र दलेल सिंह निवासी ग्राम नगला चित्त मौजा करवा खुर्द थाना भरथना जनपद इटावा द्वारा थाना भरथना पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि उसके पति राजेश यादव उर्फ राजू उम्र 28 वर्ष को विपक्षीगण संजीव यादव उर्फ टोनी एवं मनोज यादव उर्फ पाण्डे द्वारा घर के अन्दर ले जाकर बाँके से प्रहार कर हत्या कर दी गयी। सूचना पर तत्काल **थाना भरथना पर मु0अ0सं0 90/2023 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना श्री रणबहादुर द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व डीजीसी श्री शिव कुमार शुक्ला द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.03.2025 को मा0 न्यायालय DJ इटावा द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को अन्तर्गत धारा 302 भादवि मे **आजीवन कारावास एवं 10,000/- 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **संजीव यादव उर्फ टोनी पुत्र किशन सिंह निवासी नगला चित्त थाना भरथना जनपद इटावा**
2. **मनोज यादव उर्फ पाण्डे पुत्र किशन सिंह निवासी नगला चित्त थाना भरथना जनपद इटावा।**